

प्रेस नोट दिनांक 12.11.2021 जनपद मेरठ ।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य थाना खरखौदा

अवगत कराना है कि वादी मुनेन्द्र त्यागी पुत्र ओमप्रकाश त्यागी नि० ग्राम बधौली थाना खरखौदा मेरठ द्वारा दिनांक 08/11.2021 समय 11.31 बजे अपनी पुत्री कु० अंजली उम्र करीब 28 वर्ष की गुमशुदगी थाना हाजा पर दर्ज करायी थी मृतका अंजली का शव दिनांक 09.11.21 को ग्राम मुबारकपुर थाना खेकडा जनपद बागपद मे मिलने व शव की शिनाख्त के उपरान्त वादी की तहरीर के आधार पर दि० 10.11.2021 को मु०अ०सं० 517/2021 धारा 366/302/201 भादवि बनाम अभिषेक त्यागी पुत्र महेश चन्द त्यागी नि० ग्राम चन्द्रवाल थाना चांदीनगर जनपद बागपत तरमीम किया गया था एवं विवेचना थाना प्रभारी खरखौदा द्वारा स्वयं ग्रहण की गयी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी किठौर के पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 12.11.2021 को थाना खरखौदा पुलिस टीम मय सर्विलांस टीम द्वारा घटना का अनावरण किया गया एवं मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि० अभिषेक त्यागी पुत्र महेश चन्द त्यागी नि० ग्राम चन्द्रवाल थाना चांदीनगर जनपद बागपत को समय करीब 09.30 बजे मण्डी रोड पर से हिरासत पुलिस लेकर मय घटना मे प्रयुक्त गाडी सं० यूपी 14 सीयू 9344, मृतका कु० अंजली त्यागी का नीले रंग का पर्स मय हाईस्कूल व इण्टर मिडिएट की अंक तालिका एवं हाई स्कूल की सनद तथा 160 रुपये नगद व पास बुक स्टेट बैंक व मोबाइल फोन के लिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अभिषेक त्यागी पुत्र महेश चन्द त्यागी नि० ग्राम चन्द्रवाल थाना चांदीनगर जनपद बागपत हाल नि० राधेश्याम नगर फेस 2 मुरादनगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय -

➤ मण्डी रोड चौकी बिजली बम्बा क्षेत्र समय करीब 09.30 बेज सुबह दिनांक 12.11.2021

आपराधिक इतिहास—

मु०अ०सं० 517/2021 धारा 366/302/201 भादवि

बराहदगी —

- 1.स्वीफ्ट कार न० यूपी 14 सीयू 9344 (घटना मे प्रयुक्त)
- 2.एक अदद सनद, दो अदद अंक पत्र हाई स्कूल ,इण्टरमीडिएट , एक पर्स लेडिज रंग नीला, 160 रुपये नगद, एक पास बुक स्टेट बैंक व मोबाइल फोन अभि के (घटना मे प्रयुक्त)



सराहनीय कार्य जनपद मेरठ दिनांक 12.11.2021.

दिनांक बजे वादी श्री फरमुद्दीन हफीज 15.20 को समय 11.11.2021 निवार खम्भा शौकत 0 कालौनी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ द्वारा थाना हाजा पर तहरीर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री उजमा लक्खीपुरा थाना 26 0की शादी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व गुडडू उर्फ शुभान पुत्र शकील निवासी गली नं लिसाड़ी गेट के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उजमा का पति गुडडू उर्फ शुभान सास शमा ने देवर, हजार रुपये लाने के लिये प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 50 सोनू उजमा को दहेज में उसकी पुत्री उजमा की उसके पति गुडडू उर्फ शुभान, सास शमा व देवर सोनू ने उजमा की हत्या कर दी है, सम्बन्ध में थाना पर मु 2021/623 0सं0अ0धारा 498A304/B506/504/ भादवि व अधिनियम 0प्र0द 4/3 .1 बनाम गुडडू उर्फ शुभान पुत्र शकील .2 श्रीमति शमालक्खीपुरा 26 0 सोनू समस्त निवासी गली नं .3, थाना लिसाड़ी गेट मेरठ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आज दिनांक को श्रीमान वरिष्ठ 12.11.2021 पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ व क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में थाना लिसाड़ी गेट मेरठ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त गुडडू उर्फ शुभान पुत्र शकील व श्रीमति शमा निवासी उपरोक्त को नूरनगर की पुलिस से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

लक्खीपुरा थाना लिसाड़ी गेट मेरठ 26 0 शकील बच्चन निवासी गली नं 0 गुडडू उर्फ शुभान पुत्र स्व (1)

लक्खीपुरा थाना लिसाड़ी गेट मेरठ 26 0 शकील बच्चन निवासी गली नं 0 श्रीमति शमा पत्नी स्व (2)

आपराधिक इतिहास:

मु 498 धारा 2021/623 0सं0अ0A304/B506/504/ भादवि व अधिनियम 0प्र0द 4/3



सराहनीय कार्य जनपद मेरठ दिनांक 12.11.2021.

आज दिनांक 12.11.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ के निर्देशों के अनुक्रम में थाना लिसाडी गेट मेरठ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त असलम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दशरथपुर थाना दौराला जनपद मेरठ को जाकिर हुसैन कालोनी से गिरफ्तार किया गया है इस सम्बन्ध में दिनांक 15.09.2021 को वादिनी श्रीमति शबाना पुत्री शमशुददीन निवासी इकबाल नगर जाकिर हुसैन कालोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 506/2021 धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला अधि (विवाहों पर अधिकारों की सुरक्षा) पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त असलम द्वारा अपनी पत्नी शबाना के साथ दहेज की मांग करना, मारपीट व धमकी देना व तीन बार तीन तलाक दे देना।

गिरफ्तार अभियुक्त:

असलम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दशरथपुर थाना दौराला जनपद मेरठ

आपराधिक इतिहास:

2021/506 धारा 498A/323/504/506 भादवि व विवाह पर) मुस्लिम महिला 4/3 अधिनियम व 0प्र0द 4/3 2019 अधिनियम (अधिकारों की सुरक्षा



प्रेस नोट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ दिनांक 12.11.2021.

आज दिनांक 12.11.2021 को थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ पुलिस द्वारा रजा 0वारन्टी सनव्वर पुत्र मौ 01 411/380 धारा 14/598 0निवासी नूर नगर मदीना कालोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ सम्बन्धित एसटी नं भादवि चालानी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ न्यायालय स्पेशल सीजेएम मेरठ को इसके मस्कन मदीना कालोनी से गिरफ्तार किया गया । वारन्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त:

सनव्वर पुत्र मौ रजा निवासी नूर नगर मदीना कालोनी थाना लिसाडी गेट मेरठ 0

